# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 62 /पटना, दिनांक :– 9-1-23

श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास द्वारा अधिसूचना सं0–2460 सह–पठित ज्ञापांक 2461 दिनांक 30.12.2020 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 01.02.2021 दायर की गयी है।

2. श्री गुप्ता के विरूद्ध कार्य प्रमंडल–2 बक्सर (सम्प्रति कार्य प्रमंडल, डुमरॉव) अन्तर्गत चौसा लाईन नहर से बन्नी बाजार तक पथ मरम्मति कार्य, राजपुर प्रखंड में बावन बाँध पुल निर्माण कार्य एवं चौसा प्रखंड में बहादुरपुर कब्रिस्तान के घेराबंदी कार्य में अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1135 अनु0 दिनांक 05.04.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन दिनांक 14.02.2017 में श्री गुप्ता द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किये जाने के आधार पर आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री गुप्ता को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षो तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित की गयी।

3. श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रथम योजना (चौसा लाईन नहर से बन्नी बाजार तक पथ मरम्मति कार्य) से संबंधित दो आरोप गठित है, जो पथ के ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 की मोटाई प्रावधानित मोटाई से 15.55 m.m. कम पाये जाने एवं पथ के Shoulder एवं Slope में कम मिट्टी का कार्य कराकर अधिक मिट्टी कार्य का भुगतान किये जाने से संबंधित है। दूसरे योजना (राजपुर प्रखंड में बावन बाँध पुल निर्माण कार्य) से संबंधित तीन आरोप गठित है, जो Foundation की प्रावधानिक मुटाई को कम कर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर उसकी भरपाई करने की हेरा–फेरी करने, पुल के abutment में प्रयुक्त Cement plaster की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाये जाने एवं पुल के दोनों तरफ बने पहुँच पथ में प्रयुक्त Cement concrete की गुणवत्ता प्रावधान के अनुरूप नहीं पाये जाने से संबंधित है। तीसरी योजना (चौसा प्रखंड में बहादुरपुर कब्रिस्तान के घेराबंदी कार्य) से संबंधित एक आरोप गठित किये गये, जो चहारदीवारी के stiffner एवं plaster के कार्य में कम सिमेंट का प्रयोग कर खराब गुणवत्ता का कार्य कराये जाने से संबंधित है।

4. श्री गुप्ता द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 01.02.2021 में मुख्य रूप से अपनी बीमारी का उल्लेख करते हुए संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने एवं बचाव बयान समर्पित नहीं कर पाने का तथ्य रखा गया है।

5. उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता को संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 4723 दिनांक 08.07.2016, पत्रांक 5186 दिनांक 29.07.2016 एवं पत्रांक 7455 दिनांक 23.12.2016 के माध्यम से सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निदेश दिया गया। श्री गुप्ता दिनांक 28.12.2016 को होने वाली सुनवाई में उपस्थित हुए, जिसमें श्री गुप्ता को सभी कागजात उपलब्ध करा दी गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 395 दिनांक 23.01.2017 द्वारा श्री गुप्ता को सुनवाई की अगली तिथि 30.01.2017 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया तथा श्री गुप्ता द्वारा याचित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की छायाप्रति भी भेजी गयी, परन्तु श्री गुप्ता उक्त तिथि को उपस्थित नहीं हुए। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 541 दिनांक 30.01.2017 द्वारा श्री गुप्ता को पुनः सुनवाई में उपस्थित होने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री गुप्ता उक्त तिथि को उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री गुप्ता द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त दिनांक 26.04.2017 को उनके समक्ष अपना बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसपर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। स्पष्ट है कि श्री गुप्ता द्वारा जानबुझकर टाल–मटोल की नीति अपनाकर अपना बचाव बयान संचालन पदाधिकारी के समक्ष ससमय समर्पित नहीं किया गया।

**6.** उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री गुप्ता को नियमावली में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर प्रश्नगत दंड संसूचित किया गया है तथा निष्कर्ष अभिलेख पर रक्षित साक्ष्य समर्थित है। अधिरोपित दंड उचित है एवं इसमें किसी संशोधन का आधार/औचित्य नहीं है। अतएव श्री गुप्ता का पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 01.02. 2021 स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास के पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 01.02.2021 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4/1/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 63 /पटना, दिनांक :– 9-1-23

**प्रतिलिपि** :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

4/1/2023
विशेष सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 63 /पटना, दिनांक :– 9-1-23

**प्रतिलिपि** :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/1/2023

विशेष सचिव

**ज्ञापांक** :– 2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 63 /पटना, दिनांक :– 9-1-23

**प्रतिलिपि** :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, दरभंगा/आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास/कार्य प्रमंडल–2, बक्सर/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास, पत्राचार का पताः–मो0–विजयनगर, रोड नं0–5, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना–14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/1/2023

विशेष सचिव